दिनांक 17.11.2018 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF,झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न वन प्रमंडल पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

बैठक की उपस्थिति पंजी में दर्ज है।

सर्वप्रथम बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों से क्षेत्रीय कार्यो की दक्षता बढ़ाने एवं इसमें वन प्रमण्डल पदाधिकारी स्तर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा developmental synergy को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर दो प्रमुख अवयवों "Complementarity" तथा "Subsidiarity" के सिद्वांतो को व्यवहारिक रूप से अमल करने का आवाह्न किया गया।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा सभी पदाधिकारियों से अपने निजी एवं professional जीवन में पूर्ण integrity अपनाकर जनता सहित अन्य सभी stakeholders का विश्वास जीतने का संदेश दिया गया। इसको विभाग के मुख्य motto के रूप में अपनाने के लिए सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से वन विभाग के लिए "सक्षम, सहभागी, सत्यनिष्ठ" नीतिवाक्य (motto) के उपर विभागीय प्रतीक–चिन्ह (Logo) निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर Logo का professional design की 4–5 प्रतिकृतियाँ बनवाकर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

3. वन प्रमण्डल पदाधिकारियों द्वारा बैठक में स्थापना बल की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उससे उत्पन्न क्षेत्रीय समस्याओं को बैठक में रखा गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारियों के प्रायः सभी उद्गारों से सहमति जताते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी को जिम्मेदारियों को निर्वहन हेतु समुचित स्टाफ सहित पर्याप्त शक्तियाँ देने तथा HR Audit कराकर कार्य को rationalize कराने संबंधी मुख्यालय स्तर पर किये जा रहे प्रयासो की जानकारी दी गई।

4. योजना, गैर–योजना एवं CAMPA के अन्तर्गत अद्यतन व्यय की समीक्षा की गयी। योजना मद एवं कैम्पा मद में बजट उपबंध के विरूद्ध व्यय क्रमशः 18.29 % एवं 16.41 % है जो काफी असंतोषजनक है। इसका मुख्य कारण (i) आवंटित राशियों के व्यय की धीमी प्रगति एवं (ii) बजट उपबंध के अनुसार योजनाएँ स्वीकृति हेतु समर्पित करने में विलम्ब है। दोनों ही कारण क्षोभनीय एवं अस्वीकार्य हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा दोनों ही कारणों को तत्काल दूर कर त्वरित गति से योजना, गैर–यौजना, एवं कैम्पा मदों में, विशेषतः योजना मद में व्यय की प्रगति को बढ़ाकर नवम्बर 2018 तक 70 % व्यय करने का निर्देश दिया गया।

5. वर्ष 2018–19 के अवशेष कार्यकाल में कार्यों (योजना/गैर–यौजना/कैम्पा) के अन्तर्गत प्रस्तावों के Estimates एवं Technical Sanction सहित समर्पण की प्रगति नितान्त असंतोषजनक है सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को अविलम्ब वांछित अभिलेख प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

6. वर्ष 2019–20 के लिए योजना एवं कैम्पा schemes के कार्यों हेतु योजना समर्पण की स्थिति की चर्चा की गई। एतद्संबंधी प्रस्ताव दिनांक 15.12.2018 तक समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

7. कैम्पा के अन्तर्गत APO 2018-19 के अनुसार 32 नए 4- wheeler पेट्रोलिंग वाहन क्रय किये जाने हैं जिसके लिए कहीं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जहाँ–जहाँ आवश्यकता है वहाँ से उक्त प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाने का निर्देश दिया गया।

8. विलम्ब से IT/TDS रिटर्न जमा करने पर विलम्ब भुगतान शुल्क की माँग कुल 23 स्थापनाओं से प्राप्त हुई है। शेष सभी स्थापनाओं को भी अविलम्ब (यदि माँग नहीं है तो 'शून्य') प्रतिवेदन भिजवाने का निर्देश दिया गया।

9. सभी संबंधित प्रमंडलों को एक सप्ताह के भीतर 2015 से 2018 तक चार वर्षाकालों के पौधारोपण के उत्तरजीविता प्रतिशतता प्रतिवेदन के साथ ही पौधारोपण स्थलों के Photographs जमा करने का निर्देश दिया गया। एतदर्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास आवश्यक समन्वय करेंगे।

10. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी (प्रादेशिक / वन्यप्राणी) को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अधीन 5000 जे0एफ0एम0सी0 / इ0डी0सी0 के Micro Plans निर्माण करने हेतु सभी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

11. प्रधान मुख्य वन संरक्षक की समीक्षा हेतु विभिन्न मासिक प्रतिवेदन (यथा अवैध पातन, खनन्, कोर्ट केस, राजस्व इत्यादि) बार–बार स्मारित करने के बावजूद समय से प्राप्त नहीं होते हैं तथा अनेक बार पिछले माह का data ही upload कर दिया जाता है। मासिक प्रतिवेदनों से संबंधित Google Sheet भी ससमय अद्यतन नहीं किया जाता है जिसपर खेद व्यक्त किया गया। यद्यपि अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रयास किये जाने की सूचना मिल रही है परन्तु अतिक्रमण हटाने, वाहन अधिहरण / जप्ती, गिरफ्तारी आदि के मामलों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। वन सुरक्षा के उपायों को और अधिक तीव्रता के साथ लागू किये जाने का निर्देश दिया गया।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं वन संरक्षक, कार्य नियोजना द्वारा कार्य नियोजना के अधीन सभी Felling Series का Control Forms भरे जाने की प्रक्रिया एवं विधि के बारे में जानकारी दी गयी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा इसके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारियों को इसे field में शतप्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया गया।

13. वन्यप्राणियों द्वारा जानमाल की हुई क्षति के उपरान्त किये जाने वाले मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त माँग का पूर्ण आवंटन किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अनेकों प्रमंडलों में मुआवजा भुगतान की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। कई प्रमंडलों में काफी पुराना बकाया मुआवजा भुगतान लंबित है जो खेद का विषय है। संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक को इसकी समीक्षा कर लंबित भुगतान का निष्पादन करने का निदेश दिया गया। एतदर्थ Field में कोई आवेदन लंबित न रखने की आवश्यकता पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा बल दिया गया।

14. 01 से 03 दिसम्बर 2018 को राँची में आयोजित किये जाने वाले JFM मेला की तैयारी से संबंधित सूचना प्रायः सभी प्रमंडलो से अप्राप्त है जिसे अविलंब समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

15. अन्यान्य :

(i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमंडल को वन पदाधिकारी कॉलोनी डोरण्डा, राँची में अवस्थित C-ब्लॉक के दो आवासों में कुल छः कमरे पदाधिकारियों के राँची प्रवास के दौरान उपयोग हेतु furnish करने का निर्देश दिया गया।

(ii) प्रादेशिक / वन्यप्राणी वन प्रमंडल पदाधिकारी के कर्तव्यों की आवश्यकता को देखते हुए उनके लिए "कर्णांकित आवास" की व्यवस्था लागू करने पर सर्वसहमति हुई। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) आदेश का प्रारूप तैयार करेंगे।

(iii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना को 16 (सोलह) Forest Land Data Management Cell स्थापित किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु आवश्यक समन्वय तथा अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

अतं में धन्यवाद ज्ञापन के साथ समीक्षा बैठक समाप्त हुई ।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 4166 दिनांक 22.11.2018

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक सभी / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सभी / मुख्य वन संरक्षक सभी / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक सभी / वन संरक्षक सभी / वन प्रमंडल पदाधिकारी सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।